'मध्यभारत वनांचल क्षेत्र' राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छतीसगढ़, आंध्रप्रदेश, तेलंगाणा, झारखंड,ओरिसा, तथा पश्चिम बंगाल इन राज्योंके कुछ चुनिंदा जिलोंसे बनता है लगभग 150 जिले इसमें सम्मिलित होते हैं यह क्षेत्र घोषित वनक्षेत्रर तथा घोषित अनुसूचित क्षेत्ररर भी है। इस क्षेत्र में सघन वन तथा पहाडोंकी शृंखला पाई जाती है भारत में रहने वाले कुल जनजातीय समूदायों कि लगभग 80 % जनजातीय आबादी इस क्षेत्र में निवास करती है वन-पशुधन-खेती आधारित आजीविका यहा के समृद्धी कि बारसोंसे आधार रही है यहाँ के जन हमेशा अपने निजी और निजी और सार्वजनिक जीवन में प्रकृति से सामंजस्य बिठाते रहे है संसाधनों का दोहन यह यहाँ का अलिखित कानून रहा है यहाँ के धारणाक्षम अर्थात शाश्वत विकास की यही धारणा रही है।

पिछले कुछ वर्षोसे विकास की धारणा काफी संकीर्ण हो रही है इस काल में विकास के अंतर्विरोध, संघर्ष के अनेक उदाहरण हम प्रत्यक्ष देख रहे है इस संकीर्ण विचारधारा का सबसे बुरा प्रभाव मध्यभारत वनांचल क्षेत्र पर दिखाई दे रहा है विकास के आधुनिक मानदंडो के तहत यह क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा साबित हो रहा है प्राकृतिक संसांधनोंकी अपार क्षती, मीट्टी का बहाव, अनुत्पादक-कम उत्पादक खेती, बनों की कटौती ने इस क्षेत्र की आजीविका को असुरक्षित बना दिया है खान पान से संबंधित कुपोषण, बालमृत्यु, बेरोजगारी यहाँ की अब पहचान बन गई है। इस परिस्थिति के चलते बढ़ता जन आक्रोश, असंतोष समस्या को और जटिल बना रहा है अलिखित कानून रहा है।

मध्यभारत वनांचल क्षेत्र की वर्तमान स्थिती की कार्यक्रम, उपक्रमात्मक एवं वैचारिक धरातलपर चहुमुखी चिकित्सा करते हुए, क्षेत्र को धारणाक्षम अर्थात शाश्वत विकास कि दिशा में अग्रेसर बनाना सर्वोच्च वरियता प्राप्त कार्य है इस विषय के अध्ययनकर्ता कहते है, भारत में विभिन्न व्यक्ति- मनीषीओने युगसुसंगत चितंन प्रस्तृत किया है साथ में यह आग्रहपूर्वक कहा है की, दृष्टिविकास के पश्चात ही सुष्टीविकास का कार्यारंभ करना चहिए।

मध्यभारत वनांचल समृद्धि योजना

भारतीय विकास चिंतन आश्रित अध्ययन, संगठन, दृष्टिविकास की प्रक्रिया के आधारपर सृष्टिविकास अर्थात परिसर विकास की योजना बनाना एवं क्रियान्वय का लक्ष सम्मुख रखकर मध्यभारत वनांचल समृद्धि योजना की निर्मिती की गई है।

योजना के मार्गदर्शक सूत्र

- न्यूनतम उपभोग से अधिकतम आनंद प्राप्ती का लक्ष।
- केवल आवश्यकताऐ पूरी करनेवाली व्यवस्था।
- पर्यावरण स्नेही धारणाक्षम उत्पादन वृद्धी धारणाक्षमता को बढाकर अधिक समृद्धि।
- परंपरागत तथा आधुनिक समुचित प्रौद्योगिकी का उपयोग।
- अधिकारोंका, निर्णयोंका, प्रयासोंका, उत्पादन तथा स्वामित्व का विकेंद्रीकरण।
- विकास जनचेतना के आधारपर शासन की भूमिका केवल मार्गदर्शक, प्रेरक, सहायक की।
- बाजार, शासन, उद्योगपति व कर्मचारीयोंके साथ साथ परिवार, समाजगुंट का भी विकास में योगदान।
- स्वयंशासी, स्वायत्त व्यवस्थाओंको प्रोत्साहन।
- रोजगार उत्पादक एवं विकासकारी।

योजना उद्देश्य

1. अपना जिला / परिसर के विकास संबधित वर्तमान परिस्थिति का अध्ययन करना।
2. विकास की भारतीय अवधारणाओं को समझना।
3. जन सहभागीता और विशेषज्ञो के साथ चयनित ग्राम समूह की विकास निति तथा कार्य योजना बनाना।
4. स्थानीय समुदाय को कार्ययोजना व्यवहारिकता में लाने हेतु हर संभव सहयोग देना।

योजना अंतर्गत पाठ्यक्रम रचना

- ग्राम,प्राकृतिक संसाधन की स्थिती का समुदाय के साथ अध्ययन।
- न्यूज़ पेपर से परिसर की विकास स्थिती को समझना।
- शासकिय-गैर शासकिय सांख्यिकीय जानकारी संकलन, विश्लेषण।
- प्राकृतिक रचनाओंको समझना।
- युगसुसंगत भारतीय चिंतन आधारित विकास के सूत्र, दिशाबोध ध सुनना, पढ़ना, समझना।
- प्रेरणा प्रवास - विकास के सफल असफल प्रयास देखना, सुनना, समझना।
- तकनीकी संस्था भेट तथा तकनीक कार्यशालाओ में सहभागिता परिसर विकास हेतु समुचित तकनीक सुनना, पढ़ना, समझना।
- अध्ययन अनुभूति कार्यशाला में सहभाग स्वअध्ययन का शास्त्रशुद्ध प्रस्तुतीकरण करना, अन्य अध्ययनकर्ताओंका प्रस्तुतीकरण देखना, अध्ययन के निष्कर्ष पर विचार विमर्श।
- ग्रामसमूह, ग्रामसंकुल संकल्पना समझना, प्रत्यक्ष कार्य हेतु ग्रामसमूह चयन करना।
- प्राकृतिक संसाधन आधारित त विषय विशेषज्ञ और गाव समाज के साथ विकास योजना बनाना।
- युवा चेतना जागरण ण विकास में जनसहभागिता सभी स्तरपर सुनिश्चित करने की प्रक्रिया समझना।
- शासकीय अशासकिय धनदातओंका परिचय।
- संस्थागत, संघटनात्मक, ग्रामस्तरीय जानकारी प्रलेखन, दस्त संभालनेकी विधि बनाना, सुनना, समझना।
- विकासदृष्टया ग्रामोपयोगी भारतीय कानून जानना, समझना।
- परिसर में, ग्रामसमूह में लोकसंचालीत व्यवस्था के आधारपर शाश्वत विकास दृष्टिसे कार्य प्रारंभ करना।

योजना अवधी

योजना का कार्यकाल दो वर्ष रहेगा। हर वर्ष श्रावण माह में (अगस्त) में योजना प्रारंभ होती है।

योजना में अपेक्षित सहभागिता

- स्वयंसेवी संस्थओके ट्रस्टी / विश्वस्त गण
- सामाजिक संस्थाए, जनसंघटन के कार्यकर्ता
- विकास विषयक अध्ययनकर्ता

योजना संकल्पना एवं संचालन

मध्यभारत वनांचल समृद्धि योजना का संचालन 'योजक' द्वारा किया जा रहा है।

विकास के चलते बन रही असमंजस की स्थिति से उभरकर धारणाक्षम विकास की दिशा में वैज्ञानिक पद्धती द्वारा दृढतापुर्वक कदम बढ़ाने हेतु 'योजक' YOJAK Center For Research and Strategic Planning For Sustainable Development इस संस्था का गठन हुआ है। यह संस्था कानून की धारा ४ के तहत ना नफा कंपनी है। संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष है।

योजक:

YOJAK Center For Research and Strategic Planning for Sustainable Development

210 भारत भवन अ, 1360 शुक्रवार पेठ, पुणे 411 002.
दूरध्वनी : 020 24447555. ईमेलः info@yojak.org.in
सम्पर्क : डॉ गजानन डांगे dange@yojak.org.in 9822893164
श्री. कपिल सहस्रबुद्धे kapil@yojak.org.in 9822882011

GRAFF/2018/500

मध्यभारत वनांचल समृद्धि योजना

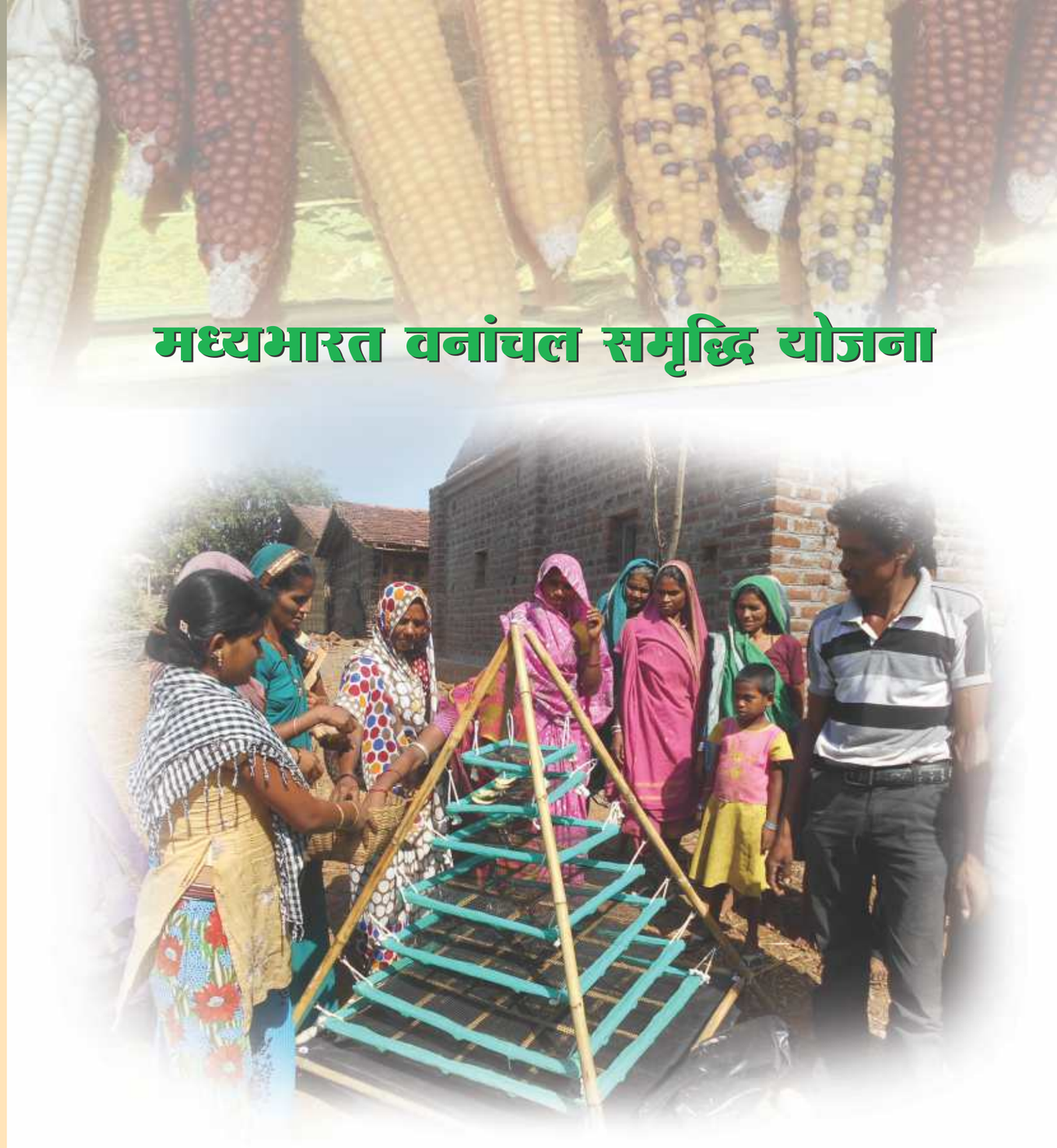

संकल्पना और सहयोग

योजक: